संख्या-18/2017/235/41-2017-70 यो0/14

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 28 मार्च, 2017

विषय- जनपद हापुड में ब्रजघाट (गढमुक्तेश्वर) पर गंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित पुराने घाट का विस्तार एवं नये घाट के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-10073/6-1-1(578)/2017, दिनांक 15.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद हापुड में ब्रजघाट (गढमुक्तेश्वर) पर गंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित पुराने घाट का विस्तार एवं नये घाट के निर्माण हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रू0 2545.89 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-82/2015/3240/41-15-70 यो0/2014, दिनांक 30.03.2015 वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत योजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख की धनराशि वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 21/2016/205/41-16-70 यो0/2014, दिनांक 29.02.2016 एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 संख्या-98/2016/1351/41-16-70 यो0/2014, दिनांक 17.08.2016 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3. उपर्यूक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 जनपद हापुड में ब्रजघाट (गढमुक्तेश्वर) पर गंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित पुराने घाट का विस्तार एवं नये घाट के अवशेष निर्माण कार्य हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 5,00,00,000.00 (रूपये पांच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) उक्त प्रायोजनाओं का कार्य सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय व्यय करने के पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्यों हेतु पूर्व में प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्यय अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) प्रश्नगत योजना की वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नही किया जायेगा। उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्यके सम्प्रेक्षित लेखे आवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(5) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत की जा रही धनराशि अप्रयुक्त/शेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य श्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(8) यह सुनिश्तिच किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(9) योजना का अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-05-गढमुक्तेश्वर में ब्रजघाट धार्मिक स्थल का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अशिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-18/2017/235(1)/41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
3- जिलाधिकारी, हापुड।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मेरठ।
7- उप निदेशक, पर्यटन मेरठ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।